दिनांक 25.11.2014 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता मे विभाग के वरीय पदाधिकारियों की आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी में संधारित।

कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, कृषि द्वारा विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में निम्न निदेश दिये गये :–

1. सभी जिला नोडल पदाधिकारी मंगलवार (02.12.2014) के पूर्व एक बार जिला का भ्रमण जरूर करें तथा भ्रमण के क्रम में रबी उपादान वितरण एवं यांत्रिकीकरण मेला पर विशेष ध्यान दे।
2. लगभग सभी योजना की स्वीकृति हो गई है, परन्तु योजना के राशि की समीक्षा में पाया जा रहा है कि राशि की निकासी नहीं हो रही है। जिला में भ्रमण के क्रम में नोडल पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे कि राशि की निकासी में क्यों नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत रूचि लेकर निकासी में गति लाई जाय।
3. पृच्छा के क्रम में नोडल पदाधिकारी दियारा योजना ने बताया कि वित्त विभाग से सम्पर्क किया गया है संचिका दो–तीन दिन में वापस आ जायेगा। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर योजना के कार्यान्वयन कराया जाय।
4. उप कृषि निदेशक, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला के लिये पुराने बामेती का जो भवन देने की बात है उसके संबंध में पी0पी0 एडवाईजर ने जानकारी दी है कि वे नया भवन निर्माण करायेंगे।
5. एन0आई0सी0 को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षोपरान्त कृषि निदेशक को निदेश दिया गया कि वे तत्काल निदेशक, बामेती को आदेश दे कि वे एन0आई0सी0 को राशि उपलब्ध करा दें, राशि की निकासी होने पर इसे समयोजित कर दी जायेगी।
6. जैविक खेती की निकासी की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि व्यय में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि इसमें सुधार कर व्यय में वृद्धि लाई जाय।

   बायोगैस के अनुदान के संबंध में जानकारी दी गई कि 2 घन से0मी0 पर अनुदान 19 हजार एवं 3 घन से0मी0 पर 23 हजार रू0 का अनुदान है। इसकी जानकारी सभी जिला नोडल पदाधिकारी अपने जिला को दें।
7. केन्द्रीय बीज ग्राम योजना के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संचिका संयुक्त सचिव के यहॉ उपस्थापित है, निदेश दिया गया कि संचिका वापस लेकर माननीय मंत्री को भेजा जाय।

8. उद्यान निदेशक को निदेश दिया गया कि वे सभी योजना का एक समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि जिस योजना में राशि की निकासी नहीं हो रही है, किसान रूचि नहीं ले रहे है, उस योजना के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कर उसे प्रचारित कराया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि नवादा जिला के भ्रमण के क्रम में पाया गया कि किसान पॉली हाउस बनाये है, वे प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें Exposer Training कराया जाय ताकि पॉली हाउस का किसान सही उपयोग कर सके।

9. निदेशक, उद्यान को निदेश दिया गया कि वे सहायक निदेशक (उद्यान) को निदेश दें कि वे उद्यान योजना में रूचि लेकर कार्यान्वयन कराये।

10. राज्य योजनान्तर्गत उद्यान प्रक्षेत्र में 100 करोड़ की राशि से मात्र 2.37 करोड़ राशि की निकासी हुई है। निदेशक उद्यान इसकी समीक्षा करें।

11. कृषि विपणन में 10 करोड़ की राशि का उपबंध राज्य योजनान्तर्गत की गई थी। निदेशक, पी0पी0एम0 द्वारा बताया गया कि राशि प्रत्यार्पित हो गई है। निदेश दिया गया कि योजना की स्वीकृति ले ली जाय एवं तत्काल 25 प्रतिशत राशि पुर्नविनियोग कराकर राशि उपलब्ध कराई जाय, ताकि योजना कार्यान्वयन हो।

12. निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव द्वारा बताया गया कि निदेशालय में कुल 54 मुकदमा सी0डब्लू0जे0सी0 है, जिसमें 9 एम0जे0सी0 है, विभाग में कुल 91 मुकदमा है। बताया गया कि इस सप्ताह आधे में शपथ पत्र दायर हो जायेगा। निदेश दिया गया कि समय से शपथ पत्र दायर किया जाय, एस0ओ0एफ0 अगर अनुमोदन के लिये जरूरी है, तो शीघ्र भेजा जाय।

13. संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा बताया गया कि किसान सलाहकार के पद हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रकाशित हो गया है कि कितना पूर्ण आवेदन प्राप्त है और कितना अपूर्ण आवेदन प्राप्त है।

14. संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान) द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत प्रयोगशाला का प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में पूछा गया, निदेश दिया गया कि राज्य के आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करें।

15. नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा बताया गया कि दुसरा मेला चल रहा है। योजना का स्वीकृत्यादेश निकल गया है। निदेश दिया गया कि मंत्रीपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् जो स्वीकृत्यादेश निर्गत है, कार्यान्वयन कराया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी निदेश दे कि अगर जिस पंचायत में आवेदन कम आ रहा